भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 675

जिसका उत्तर 28 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

बाढ़ और सूखे का प्रबंधन

675. श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

श्री अरविंद गणपत सावंत:

श्रीमती भारती पारधी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बाढ़ और सूखे के प्रभावी प्रबंधन के लिए कोई समेकित योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त योजना तैयार करते समय राज्य सरकारों से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारें विशेषकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) देश में बाढ़ अैर सूखे का कोई ठोस समाधान न निकाले जाने के क्या कारण हैं;

(च) सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर बाढ़ और सूखे की समस्याओं को रोकने के लिए प्रभावी समाधान ढूंढने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(छ) इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (छ): बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती है। भारत सरकार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सहायता सहित प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस संबंध में, भारत सरकार द्वारा हाल ही में की गई कुछ मुख्य पहलें नीचे दी गई है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता के अंतर्गत एक समिति द्वारा मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों के परामर्श से पूरे देश में बाढ़ प्रबंधन कार्यों की रणनीतिगत तैयारी के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। आधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ-साथ इसमें संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों की संयुक्त रूप से प्रभावी और चिरस्थायी

रणनीतियां शामिल है, जिससे बाढ़ की समस्याओं को एक बड़ी मात्रा में कम किया जा सकता है। इस समिति ने वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन औऱ सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) को विस्तार करने का प्रस्ताव रखा। केंद्र सरकार वर्ष 2021-26 के दौरान 4,100 करोड़ रूपये के परिव्यय से "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" का कार्यान्वयन कर रही है। कुल 529 एफएमपी योजनाएं अनुमोदित की गई है और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एफएमपी घटक के अंतर्गत अक्टूबर 2024 तक कुल 7136.00 करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इनमें से, पूरी की गई 427 योजनाओं से लगभग 5.04 मीलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान की गई है और लगभग 53.69 मीलियन लोगों को सुरक्षित किया गया है।

गैर-संरचनात्मक उपायों के लिए, केंद्रीय जल आयोग एक नोडल संगठन है, जिसे देश में बाढ़ पूर्वानूमान और पूर्व बाढ़ चेतावनी प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। 24 घंटे समय के भीतर प्रतिक्रिया हेतु अल्पावधि पूर्वानूमान के अलावा, केंद्रीय जल आयोग द्वारा लोगों के बाचव कार्य औऱ अन्य सुरक्षात्मक उपायों के लिए स्थानीय प्राधिकरणों को और समय प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्वानूमान केंद्रों में 7 दिनों की अग्रिम चेतावनी के लिए रैनफॉल-रनऑफ मेथेमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित बेसिन-वार बाढ़ पूर्वानूमान मॉडल भी विकसित किया गया है। इस समय, केंद्रीय जल आयोग द्वारा 340 केंद्रों (200 स्तर पूर्वानूमान और 140 इनफ्लो पूर्वानूमान) पर बाढ़ पूर्वानूमान सूचना जारी की जाती है। इनमें से, मध्यप्रदेश में 12 इनफ्लो पूर्वानूमान केंद्र और 02 स्तर पूर्वानूमान केंद्र हैं, महाराष्ट्र में 14 इनफ्लो पूर्वानूमान केंद्र और 08 स्तर पूर्वानूमान केंद्र है और उत्तर प्रदेश में 05 इनफ्लो पूर्वानूमान केद्र और 39 स्तर पूर्वानूमान केंद्र है।

जल शक्ति मंत्रालय देश में बाढ़ प्रबंधन के गैर-संरचनात्मक उपायों की दृष्टि से फल्ड प्लेन जोनिंग आपनाने की राज्यों की आवश्यकता को लगातार समझाता रहा है। फल्ड प्लेन और इसके जोन का वैज्ञानिक आंकलन करने में राज्यों को समर्थ बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा फल्ड प्लेन जोनिंग पर मसौदा तकनीकी दिशानिर्देश तैयार किए है और वर्ष 2024 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए है।

देश में बाढ़ और सूखे के प्रभावी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें देश की जल की अधिकता वाले नदी बेसिनों को जल की न्यूनता वाले नदी बेसिनों के साथ जोड़ने का लक्ष्य है, ताकि जल की अधिकता वाले क्षेत्र से अत्यधिक जल को जल की न्यूनता वाले क्षेत्र और उसके उल्ट डायवर्ट किया जा सकें।

प्रभावी सूखा प्रबंधन हेतु किसानों के लाभ के लिए खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए योजनाओं का कार्यान्वित करने और खेतों में जल की वास्तविक पहुंच को बढ़ाने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का विस्तार 93,068.56 करोड़ रूपये के समग्र परिव्यय से वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत, 62 वृहत और मध्यम परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता 26.13 लाख हेक्टेयर है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत, मध्यप्रदेश की 12 वृहत और मध्यम परियोजनाओं (05 चरणों सहित) का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि 04 परियोजनाएं चल रही है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता 1.83 लाख हेक्टेयर है। महाराष्ट्र के 16 वृहत और मध्यम परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है, जबकि 10 परियोजनाएं चल रही है। महाराष्ट्र में वर्ष 2017-17 से 2023-24 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता 3.77 लाख हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश के 02 वृहत और मध्यम परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है और 02 परियोजनाएं चल रही है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता 7.67 लाख हेक्टेयर है।

वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायतार्थ अप्रैल, 2018 तक 13,651.61 करोड़ रूपये की शेष अनुमानित लागत से महाराष्ट्र की 08 वृहत और मध्यम सिंचाई औऱ 83 सतही सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक विशेष पैकेज की स्वीकृति दी गई है। महाराष्ट्र में 1.66 लाख हेक्टेयर सृजित सिंचाई क्षमता से 02 वृहत और मध्यम सिंचाई और 53 सतही सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है।

कृषि और किसान कल्याण विभाग वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधिक फसल की केंद्रीकृत योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक पीडीएमसी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पीडीएमसी को कार्यान्वित किया जा रहा है।

केंद्रीय जल आयोग सप्ताहिक आधार पर देश के 155 महत्वपूर्ण जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी करता है औऱ प्रत्येक गुरूवार को सप्ताहिक समाचार जारी करता है। इस सप्ताहिक समाचार को संबंधित राज्यों के जल संसाधन विभाग के साथ साझा किया जाता है और केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है। इस सप्ताहिक समाचार को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के क्रोप वेदर वॉच ग्रुप के साथ भी साझा किया जाता है।

*****